took place in the Connaught Circus, New Delhi branch of the bank in which two overdrafts were sanctioned against security of 'Kisan Vikas Patras' which were subsequently found to be fake. The CBI have registered a case on 27.8.1998 against three persons involved in the fraud in which loans were availed against 'Kisan Vikas Patras' which were later found to be out of a lot of 'Kisan Vikas Patras' found missing from a railway parcel during transit from Nasik Press to Calcutta. Some arrests have been made. The bank has called for the explanation of the concerned staff and has also issued notices to all its branches/controlling authorities to exercise caution while financing against security of 'Kisan Vikas Patras'.

"इंडियन बैंक्स एमंग टैन मोस्ट करप्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2519. **श्री बरजिंदर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 नवम्बर, 1998 के "दि बिजनेस स्टैंडर्ड" समाचार-पत्र में "इंडियन बैंक्स एमंग टैन मोस्ट करप्ट: मौदीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारतीय बैंकों के संबंध में अपनी राय प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा दिनांक 09 अक्तूबर, 1998 को एक सम्मेलन में दिए गए "इम्प्रूविंग ट्रांसपैरेन्सी इन एशियन बैंकिंग सिस्टम" नामक पत्र पर आधारित है। इस पत्र में घटिया पारदर्शिता की भूमिका का पूर्व एशियाई वित्तीय संकट पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण किया गया है। पत्र में बताया गया है कि चूंकि पारदर्शिता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है तथा इसकी अवधारणा स्वयं में ही कुछ कुछ विषयपरक रहती है, इसलिए पारदर्शिता के मात्रात्मक उपाय तैयार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सर्वेक्षण के परिणाम पर एजेन्सी द्वारा भरोसा दिलाया गया है जिसमें कई देशों में भ्रष्टाचार की ज्ञात स्तर की मात्रा बताने का प्रयास किया गया है। ये सर्वेक्षण गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है। प्रत्येक देश की 1 से 10 तक रैंकिंग केवल सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले व्यावसाइयों की उपलब्धि के आधार पर ही की गई है। किसी देश को तभी भ्रष्टाचार सूची में शामिल किया जा सकता है जब कम से कम चार कारक हों। एजेंसी के अनुसार, कथित रूप से यह सूची, विभिन्न देशों की बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता का उपाय है। पत्र में उल्लिखित एशियाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता सुधार में कई एशियाई देशों समेत कुछ और देशों को भी संदर्भित किया गया है। परन्तु इसमें न तो विशेष रूप से भारत का उल्लेख किया गया है और न ही भारतीय बैंकों का। भारत का उल्लेख केवल परिशिष्ट में है जिसमें 52 देशों की सूची है और उन देशों में ज्ञात भ्रष्टाचार के स्तर को दर्शाता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार, बैंकों के लेखों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सतत् आधार पर कार्रवाई करते रहे हैं। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किए गए हैं जिससे बैंकों के प्रकटीकरण में पहली की अपेक्षा वृद्धि हुई है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण के लिए उद्देश्यपरक मानदण्डों के दृढ़ता से लागू किए जाने के कारण बैंकों के परिचालनों और लेखों में अधिक पारदर्शिता आई है।

आर्थिक स्थिति पर विचार करने हेतु परिषदों का गठन किया जाना

2520. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत माहों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने एवं इस संबंध में सुझाव देने के लिए दो परिषदों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों परिषदों को अलग-अलग दायित्व भी सौंपे गये थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और